



कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति भोपाल

Phone: 0755-2540590, 0755-4050000 Fax: 0755-2541376.

Email: deangmc_bpl@yahoo.co.in www.gmcbbhopal.net

क्रमांक...../एम.सी./अराज/5/2026

भोपाल, दिनांक/02/2026

//आदेश//

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 40180-87/एम.सी./अराज-5/2024 भोपाल, दिनांक 19.11.2024 के द्वारा प्रेषित भर्ती प्रस्ताव के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा परीक्षा उपरांत जारी मेरिट अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/02-82/2025/08/प-2/9131/2025, भोपाल, दिनांक 27.11.2025 के परिपेक्ष्य में कार्यालयीन सूचना क्र. 1595/एम.सी./अराज-5/2026 भोपाल, दिनांक 12.01.2026 एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1903-12/एम.सी./अराज-5/2026 भोपाल, दिनांक 13.01.2026 के द्वारा स्कूटनी एवं दस्तावेज सत्यापन समिति गठित कर दिनांक 21.01.2026 को मेरिट एवं मेरिट प्रतीक्षारत सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं स्कूटनी के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सातवें वेतनमान का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी एवं समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत भत्तों पर कार्यग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक 03 वर्ष की परीवीक्षा पर अस्थायी नियुक्ति प्रदान की जाती है।

नियुक्ति की सेवा शर्तों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र	अभ्यर्थी का नाम	चयनित पदनाम	संवर्ग	वेतनमान
1	श्री हर्ष प्रताप सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह कुशवाह	स्टेनोटायपिस्ट	अनारक्षित	19500-62000 (मेट्रिक्स लेवल-4 इण्डेक्स-1)
2	श्री शिवम सोनी पुत्र श्री बैजनाथ सोनी	स्टेनोटायपिस्ट	अनारक्षित	19500-62000 (मेट्रिक्स लेवल-4 इण्डेक्स-1)
3	श्री गंगाराम कोरी पुत्र श्री हरबिलाश	स्टेनोटायपिस्ट	अनुसूचित जाति	19500-62000 (मेट्रिक्स लेवल-4 इण्डेक्स-1)
4	श्री देवेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र श्री मूलचंद विश्वकर्मा	रिकॉर्ड क्लर्क	अन्य पिछड़ा वर्ग	19500-62000 (मेट्रिक्स लेवल-4 इण्डेक्स-1)

-नियुक्ति की शर्तें-

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, यह नियुक्ति मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 (गैर शैक्षणिक संवर्ग) के तहत इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
- चयनित प्रत्याशी को 500/- रुपये के ई-स्टाम्प में उपरिथत प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज सही है यदि कोई त्रुटि/कमी/गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी एवं यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।
- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12-12-2019 के बिन्दु (v) मध्यप्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के नियम 8(1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।
- चयनित प्रत्याशी पर मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12-12-2019 के बिन्दु (C) के अनुसार परीवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीवीक्षा अवधि तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर परीवीक्षा अवधि समाप्त होने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
- चयनित उम्मीदवार यदि त्यागपत्र प्रस्तुत करता है तो शासन नियमानुसार उसको एक माह पूर्व नोटिस देना होगा। यदि एक माह पूर्व नोटिस नहीं देता है तो एक माह का वेतन संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
- चयनित प्रत्याशी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर (शासकीय कार्य दिवस में) कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व ही मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण को मान्य किया जावेगा। यदि चिकित्सकीय आधार पर अनुपयुक्त पाया जाता है तो नियुक्ति आदेश स्वतः समाप्त माना जावेगा।

निरंतर पृष्ठ- 2



- नित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करते समय उपरिथत प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक छायाप्रतियां(स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ-7-2/96/आप्र/1 दिनांक 01.08.1996 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है एवं मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।
- चयनित प्रत्याशी को आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत अवकाश लेने की पात्रता होगी।
- संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी प्रतिबंधित गतिविधियों एवं हड़ताल आदि में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी एवं संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि लागू हो तो।
- शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्त परिवर्तित की जा सकती है। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
- भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेंगी।
- इस नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का समायोजन आरक्षण रॉस्टर अनुमोदन उपरांत रॉस्टर अनुसार किया जावेगा।
- चयनित उम्मीदवार को मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 (गैर शैक्षणिक संवर्ग) के तहत अवकाश की पात्रता होगी एवं बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगा।
- चयनित प्रत्याशी संस्था के अंतर्गत कार्य करते हुये किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकते हैं।
- सेवाकाल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 तथा मध्यप्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
- मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-9/3/2005/नियम/चार दिनांक 2-4-2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा(पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनांक 2-4-2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।
- मध्यप्रदेश सिविल सेवा(सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम (6) जिसमें प्रावधान अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद दो बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त माना जावेगा। इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।

पृ. क्रमांक 6448-63
प्रतिलिपि- /एम.सी./अराज/5/2026

भोपाल, दिनांक 13/02/2026

- संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
- अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल।
- उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल संभाग, भोपाल।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल।
- जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल।
- प्रभारी अधिकारी स्वशासी/गोपनीय शाखा/न्यायालयीन शाखा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल।
- आहरण एवं संवितरण अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल।
- लेखापाल, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल।
- संबंधित कर्मचारी, नाम:- पदनाम:- पता:-
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- आदेश नस्ति/व्यक्तिगत नस्ति।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।